कार्यालय परिवार न्यायाधीश, सूरजपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक– 04/दो–11–01/2021 सूरजपुर, दिनांक 02 अप्रैल, 2024

इस स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु गठित चयन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थी को **आदेशिका वाहक** के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतनमान 5200–20200 वेतन मैट्रिक्स लेबल–3 में निम्नांकित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है :–

स.क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम व पिता का नाम	अभ्यर्थी का वर्ग	चयनित वर्ग	पता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	श्री करमचंद खण्डा, पिता– श्री बरन राम खण्डा	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	एल.आई.जी. 126 दीनदयाल कॉलोनी सैदा, सकरी जिला–बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड– 495003	

शर्ते

1. यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

2. नवनियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. नवनियुक्त कर्मचारी के चारित्रिक पृष्ठभूमि के संबंध में पुलिस अधीक्षक से पूर्ववृत्त के चरित्र सत्यापन में अनुपयुक्त पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4. नवनियुक्त कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के किसी भी पद पर अन्य विभाग में सीधे आवेदन पत्र प्रेषित नही कर सकेंगे तथा बिना पूर्वानुमति अग्रिम विद्याध्यन नही कर सकेंगे।

5. नवनियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण दिनांक को समस्त मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

6. यह नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थायी है तथा परिवीक्षा के दौरान अनुपयुक्त पाये जाने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह के वेतन तुल्य राशि का भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी। यदि अभ्यर्थी सेवा छोड़ना चाहे, तो एक माह का नोटिस अथवा एक माह के वेतन के बराबर राशि जमा कर सेवा का त्याग कर सकते हैं।

7. नवनियुक्त कर्मचारी द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में असत्य पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही के साथ–साथ उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

8. नवनियुक्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन माह के भीतर सक्षम अधिकारी उच्च स्तरीय छानबीन समिति से जाति सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. आरक्षित वर्ग के विरूद्ध चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के ज्ञापन क्रमांक– एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3 दिनांक 23.06.2013 में संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. नवनियुक्त कर्मचारी को आदेश प्रसारित होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 16.04.2024 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियत अवधि के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनकी नियुक्ति एतद् द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

(संतोष शर्मा)
न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय सूरजपुर
जिला– सूरजपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 339/दो–11–01/2021 सूरजपुर, दिनांक 02 अप्रैल, 2024

यथानिर्देशित प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर की ओर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक– 6049/डी.ई./तीन–18–27/2023 बिलासपुर, दिनांक 12.05.2023 के परिप्रेक्ष्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग सूरजपुर की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
3. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला कोर्ट कमेटी सूरजपुर की ओर कार्यालयीन वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. प्रस्तुतकार, परिवार न्यायालय सूरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री करमचंद खण्डा, पिता श्री बरन राम खण्डा पता– एल.आई.जी. 126 दीनदयाल कॉलोनी सैदा, सकरी जिला– बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड– 495003।
6. लेखापाल/वेतन लिपिक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय सूरजपुर
जिला– सूरजपुर (छ.ग.)